

निर्जनस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट 38 सि. ग. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजायन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग 09/2010-2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2011—पौष 6, शक 1933

उच्च शिक्षा विभाग -
मंत्रालय, डाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक 4583/एफ 3-8/2011/38-2.—छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 15-ग, की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

अनुसूची-एक, अनुसूची-दो तथा अनुसूची-तीन के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित अनुसूचियाँ प्रतिस्थापित की जाएँ, अर्थात्:-

"अनुसूची - एक
(नियम 4 तथा 5 देखिए)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वेतनमान	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत		
				सौकीं सौकी द्वारा देखिए नियम 5 (एक) (क)	पदान्ति द्वारा देखिए नियम 5 (एक) (ख)	प्रतिनियुक्ति द्वारा देखिए नियम 5 (एक) (ग)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कुलसचिव	3	समय-समय पर यथा स्वीकृत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	रिक्त पद राज्य शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति से भरे जा सकेंगे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	उप कुलसचिव	12	समय-समय पर यथा स्वीकृत	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	तदेव
3	सहायक कुलसचिव	15	समय-समय पर यथा स्वीकृत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	तदेव
4	नियंत्रक वि.वि. मुद्रणालय	समय-समय पर यथा स्वीकृत	समय-समय पर यथा स्वीकृत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	तदेव
5	उप नियंत्रक वि.वि.	समय-समय पर यथा स्वीकृत	समय-समय पर यथा स्वीकृत	100 प्रतिशत	-	तदेव
6	वित्त अधिकारी	समय-समय पर यथा स्वीकृत	समय-समय पर यथा स्वीकृत	-	-	100 प्रतिशत
7	विश्वविद्यालय इंजीनियर	समय-समय पर यथा स्वीकृत	समय-समय पर यथा स्वीकृत	-	-	100 प्रतिशत

अनुसूची - दो
(नियम 8 देखिए)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कुलसचिव	40 वर्ष	50 वर्ष	<p>अनिवार्य-</p> <p>(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक/यूजी.सी. के 7 बिन्दु स्केल में बी ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष।</p> <p>(दो) (क) सहायक प्राध्यापक के रूप में अकादमिक ग्रेड वेतन (एजीपी) रूपये 7000 में 15 वर्ष के अध्यापन का अनुभव अथवा अकादमिक ग्रेड वेतन रूपये 8000 या उससे अधिक में 8 वर्ष का अनुभव, जिसमें सह प्राध्यापक के रूप में अध्यापन तथा शैक्षणिक प्रशासन में अनुभव शामिल है।</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) किसी शोध संस्था अथवा उच्च शिक्षा संस्थान में समतुल्य अनुभव।</p> <p>अथवा</p>

				<p>(ग) 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें 8 वर्षों के उप कुलसचिव के रूप में अथवा समतुल्य पद में अनुभव शामिल है अथवा राज्य सिविल सेवा के राजपत्रित पद पर 15 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय-</p> <p>शैक्षणिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए पी एच डी, अथवा उच्चतर डिग्री तथा प्रशासनिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए एम.बी.ए. की उपाधि, बशर्ते की एम. बी.ए. की उपाधि को न्यूनतम अनिवार्य योग्यता हेतु स्नातकोत्तर उपाधि के रूप में नहीं दर्शाया गया हो।</p>
2.	उप कुलसचिव	35 वर्ष	50 वर्ष	<p>अनिवार्य-</p> <p>(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक/यू जी.सी के 7 बिन्दु स्केल में B ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष।</p> <p>(दो) (क) सहायक प्राध्यापक के रूप में अकादमिक ग्रेड वेतन (एजीपी) रुपये 6000 में 09 वर्ष के अध्यापन का अनुभव।</p> <p>अथवा</p> <p>(ख) किसी शोध संस्था अथवा उच्च शिक्षा संस्थान में समतुल्य अनुभव।</p> <p>अथवा</p> <p>(ग) 05 वर्ष का सहायक कुलसचिव अथवा समतुल्य पद पर प्रशासनिक अनुभव अथवा राज्य सिविल सेवा के द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय-</p> <p>शैक्षणिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए पी.एच.डी. अथवा उच्चतर डिग्री तथा प्रशासनिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए एम.बी.ए. की उपाधि, बशर्ते की एम. बी.ए. की उपाधि को न्यूनतम अनिवार्य योग्यता हेतु स्नातकोत्तर उपाधि के रूप में नहीं दर्शाया गया हो।</p>
3.	सहायक कुलसचिव	23 वर्ष	35 वर्ष	<p>अनिवार्य-</p> <p>(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक/यू जी.सी के 7 बिन्दु स्केल में B ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष।</p> <p>वांछनीय-</p> <p>शैक्षणिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए एम.फिल./पी.एच.डी. अथवा उच्चतर डिग्री तथा प्रशासनिक अनुभव वाले अभ्यर्थियों के लिए एम.बी.ए. की उपाधि,</p>

				<p>रूप में का न्यूनतम अनुभव।</p> <p>कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि का उसके समकक्ष।</p>
4.	नियंत्रक वि.वि. मुद्रणालय	35 वर्ष	55 वर्ष	<p>(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि का उसके समकक्ष।</p> <p>(दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था/स्कूल/मुद्रण महाविद्यालय से मुद्रण तथा संबंधित व्यवसाय में पत्रोपाधि।</p> <p>(तीन) आधुनिक मेकेनिकल कम्पोजिंग स्वचालित मुद्रण मशीन इत्यादि वाले मुद्रणालय में उत्तरदायी पर्यवेक्षी हैसियत में जिसका वेतनमान रु. 350-360 से कम न हो, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव।</p> <p>(चार) हाथ तथा मेकेनिकल कम्पोजिंग, मुद्रण मशीन सुधारने, जिल्दसाजी तथा मुद्रण व्यवसाय की सभी शाखाओं का विस्तृत ज्ञान, कापी फिटिंग पाण्डुलिपि सम्पादन, टाइप, अभिन्यास तैयार करने तथा सजावटी छपाई आदि का ज्ञान।</p> <p>(पांच) हिन्दी तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान।</p> <p>टिप्पणी- (एक) मुद्रण प्रबंध में असाधारण योग्यता वाले अभ्यर्थी और/या अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता वाले क्रियाशील मुद्रकों को मुद्रण प्रौद्योगिकी में पत्रोपाधि की आवश्यकता से छूट देने पर विचार किया जा सकेगा।</p> <p>(दो) असाधारण तकनीकी अर्हता तथा अनुभव वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हता की आवश्यकता को भी शिथिल करने पर विचार किया जा सकेगा।</p>
5.	उच्च नियंत्रक वि.वि. मुद्रणालय	30 वर्ष	40 वर्ष	<p>अनिवार्य-</p> <p>(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था/स्कूल/मुद्रण महाविद्यालय से मुद्रण तथा संबंधित व्यवसाय में पत्रोपाधि।</p> <p>(दो) आधुनिक मेकेनिकल कम्पोजिंग, स्वचालित मुद्रण मशीन इत्यादि वाले मुद्रणालय में कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।</p> <p>(तीन) हाथ तथा मेकेनिकल कम्पोजिंग, मुद्रण मशीन सुधारने, जिल्दसाजी तथा मुद्रण व्यवसाय की सभी शाखाओं का विस्तृत ज्ञान, कापी फिटिंग पाण्डुलिपि सम्पादन, टाइप, अभिन्यास तैयार करने तथा सजावटी छपाई आदि का ज्ञान।</p> <p>वांछनीय-</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।</p>

टिप्पणी- उच्च शिक्षा संस्थान से तात्पर्य हायर सेकेण्डरी (चारहवीं कक्षा) के पश्चात् प्रदाय की जाने वाली शिक्षा से संबंधित संस्थान से है, अर्थात् समस्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा से संबंधित समस्त संचालनालय एवं सचिवालय।

अनुसूची-तीन
(नियम 13.14 तथा 15 देखिए)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नति समिति के सदस्य	पदोन्नति के लिए अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कुलसचिव	उप कुलसचिव	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. सचिव, उच्च शिक्षा- सदस्य 3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से उप-सचिव के स्तर से अन्यून अधिकारी-सदस्य	कॉलम (3) में उल्लिखित पद (पदों) पर 5 वर्ष का अनुभव
2	उप कुलसचिव	(एक) सहायक कुलसचिव (दो) कुलपति का सचिव, जो सहायक कुल सचिव के वेतनमान में कार्य कर रहा हो	-तदैव-	कॉलम (3) में उल्लिखित पद (पदों) पर 5 वर्ष का अनुभव
3.	सहायक कुलसचिव / कुलपति का सचिव	कार्यालय अधीक्षक (कक्ष अधिकारी)	-तदैव-	कॉलम (3) में उल्लिखित रिक्त पद (पदों) पर 5 वर्ष का अनुभव
4.	नियंत्रक, विश्वविद्यालय मुद्रणालय	उप नियंत्रक विश्वविद्यालय, मुद्रणालय	-तदैव-	कॉलम (3) में उल्लिखित पद पर 7 वर्ष का अनुभव

टिप्पणी:-(1) सभी विश्वविद्यालयों में कॉलम (3) में उल्लिखित पद धारण करने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय, नियम 21 में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार नाम व्यवस्थित किए जाएंगे।

(2) कॉलम (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 (1) (ख) के अनुसार ऐसे पद, जो सेवा में समाविष्ट नहीं है, को धारण करने वाले व्यक्ति के नाम पर भी विचार किया जा सकेगा।

(3) कॉलम 2 में उल्लिखित सहायक कुलसचिव के पद पर पदोन्नति हेतु अनुसूची-दो के कॉलम 5 के अधीन उल्लिखित अर्हता आवश्यक नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्रमांक 4584/एफ 3-8/2011/38-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अन्वय में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4583/एफ 3-8/2011/38-2, दिनांक 27-12-2011 का अद्यतन प्रस्ताव राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सी. के. खेतान, सचिव

Raipur, the 27th December 2011

NOTIFICATION

No. 4583/F 3-8/2011/38-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 15-C of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh State University Service Rules, 1983 namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,

For Schedule-I, Schedule-II and Schedule-III, the following Schedules shall be substituted respectively, namely :-

" SCHEDULE - I (See Rule 4 and 5)

S.No	Name of the Post included in the Services	Total Number of duty Posts	Pay Scale	Percentage of the duty Posts to be filled in		
				By Direct Recruitment [Vide Rule 5(1)(a)]	By Promotion [Vide Rule 5(1)(b)]	By Deputation [Vide Rule 5(1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Registrar	3	As sanctioned from time to time.	50%	50%	Vacant posts can be filled on deputation by the State Government.
2.	Deputy Registrar	12	As sanctioned from time to time.	75%	25%	-do-
3.	Assistant Registrar	15	As sanctioned from time to time.	50%	50%	-do-
4.	Controller University press	As sanctioned from time to time.	As sanctioned from time to time.	50%	50%	-do-

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Controller University	As sanctioned from time to time.	As sanctioned from time to time.	100%	-	do.
6. Finance Officer -	As sanctioned from time to time.	As sanctioned from time to time.	-	-	100%
7. University Engineer	As sanctioned from time to time.	As sanctioned from time to time.	-	-	100%

SCHEDULE - II
(See Rule 8)

S.No	Name of post included in the Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Educational Qualifications
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registrar	40 Years	50 Years	<p>Essential -</p> <p>(i) Post Graduate degree from a recognized university with minimum 55% marks / B Grade on 7 point scale of UGC or its equivalent.</p> <p>(ii) (a) 15 years of teaching experience as Assistant Professor with Academic Grade Pay (AGP) Rs. 7000/- or 8 years experience in academic grade pay of Rs. 8000/- or more, which includes Teaching experience as Assistant Professor and Academic Administration.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(b) Equivalent experience in any Research Institution or Institution of Higher Education.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(c) 15 years of administrative experience, of which 8 years as Deputy Registrar or an equivalent post or 15 years experience in a Gazetted post of State Civil Services.</p> <p>Desirable -</p> <p>Ph.D. or higher degree for candidates with teaching experience and M.B.A. degree for candidates with administrative experience, provided that the M.B.A. degree has not been shown as the minimum essential qualification as Post Graduate degree.</p>
2.	Deputy Registrar	35 years	50 years	<p>Essential -</p> <p>(i) Post Graduate degree from a recognized university with minimum 55% marks / B Grade on 7 point scale of UGC or its equivalent.</p> <p>(ii) (a) 9 years of teaching experience as Assistant Professor with Academic Grade Pay (AGP) Rs. 6000/-</p> <p style="text-align: center;">OR</p>

				<p>(b) An equivalent experience in a Research Institution or Institution of Higher Education</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(c) 5 years of administrative experience as Assistant Registrar or on an equivalent post or 5 years experience as Class-II Gazetted Officer of State Civil Services.</p> <p>Desirable - Ph.D. or higher degree for candidates with teaching experience and M.B.A. degree for candidates with administrative experience, provided that the M.B.A. degree has not been shown as the minimum essential qualification as Post Graduate Degree.</p>
3.	Assistant Registrar	23 years	35years	<p>Essential - (i) Post Graduate degree from recognized university with minimum 55% marks / B Grade on 7 point scale of UGC or its equivalent.</p> <p>Desirable - M.Phil./Ph.D. or higher degree for candidates with teaching experience and M.B.A. degree for candidates with administrative experience provided that the M.B.A. degree has not been shown as the minimum essential qualification as Post Graduate degree.</p>
4.	Controller University Press	35years	55 years	<p>(i) At least IInd Class Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent.</p> <p>(ii) Diploma in Printing and Allied Trades from recognized Technical Institution/School/College of printing in India.</p> <p>(iii) At least 7 years experience in a responsible supervisory capacity in a scale of pay not lower than Rs. 350-360 in a Printing Press having modern mechanical composing automatic printing machine etc.</p> <p>(iv) Through knowledge of hand and mechanical composing, printing machine mending, binding and all branches of printing trade, knowledge of copy fitting, manuscript editing, types preparation of layout and display etc.</p> <p>(v) Good knowledge of Hindi and English.</p> <p>Note - (i) Candidates with outstanding record of press management and/or as practicing printers with conspicuous success in their line may be considered for exemption from the requirement of Diploma in Printing Technology.</p> <p>(ii) Candidates with outstanding technical qualifications and experience may be considered for relaxation in the requirement of academic qualification also.</p>
5.	Deputy Controller University Press	30 Years	40 Years	<p>Essential - (i) Diploma in Printing and Allied Trades from recognized Technical Institution/School/College of Printing in India.</p>

				<p>(ii) A minimum of 5 years practical experience in printing press having modern mechanical composition automatic printing machine etc.</p> <p>(iii) Thorough knowledge of hand and mechanical composing, printing machine mending, binding and all branches of printing trade, knowledge of copy fitting, manuscript editing types, preparation of layout and display etc.</p> <p>Desirable - A Bachelor's Degree from any recognized university</p>
--	--	--	--	---

Note - Higher Education institution means the institution which imparts education after Higher Secondary (12th) i.e. all Colleges / Universities and all Directorates and Secretariats related to Higher Education.

SCHEDULE -III
(See Rule 13,14 and 15)

S.No	Name of the post included in the Service to which promotion is to be made	Name of the post from which promotion shall be made	Members of the Promotion Committee	Qualifications for Promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registrar	Deputy Registrar	<p>(i) Chairman, State P.S.C. or a Member nominated by him. – Chairman.</p> <p>(ii) Secretary, Higher Education – Member.</p> <p>(iii) Officer of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes not below the rank of Deputy Secretary – Member.</p>	5 years of experience in the post (posts) mentioned in column (3).
2.	Deputy Registrar	<p>(i) Assistant Registrar</p> <p>(ii) Secretary to Vice-Chancellor Who is Working on a pay scale of Assistant Registrar</p>	----do----	5 years experience in the post (posts) mentioned in column (3).
	Assistant Registrar/ Secretary to Vice Chancellor	Office Superintendent	----do----	5 years experience in the vacant post (posts) mentioned in column (3).

4.	Controller. University Press	Deputy Controller University Press.	----do----	7 years experience in the post (posts) mentioned in column (3).
----	------------------------------------	--	------------	--

- Note :-**
1. While preparing the seniority list of the persons holding posts mentioned in column (3) in all Universities, name shall be arranged in accordance with the principles laid down in Rule 21.
 2. Notwithstanding anything contained in column (3) a person holding a post which may not comprise the service, may also be considered as per Rule 5 (1)(b).
 3. For Promotion to the post of Assistant Registrar mentioned in column (2) the qualifications mentioned under column (5) of Schedule-II shall not be essential. .

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh
C. K. KHAITAN, Secretary.